न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 162/2017

बउनवान

छीत्या आयु 65 वर्ष पुत्र श्री देवा जाति–मेघवाल निवासी–ग्राम पाठेडा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 27.02.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 330/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट के ओर सरकारी तावान भी बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

[illegible] पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त हो[illegible] अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

[illegible] के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दो[illegible]दन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाब[illegible] अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। व[illegible] आराजी [illegible] पडी हुई है। अपने कथन के समर्थन में हल्का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर बारां (राज.)

पटवारी की मौका रिपोर्ट मय फर्द पेश की। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 378/12 निर्णय दिनांक 22.05.2012 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 378/12 निर्णय दिनांक 22.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 806/14 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official